इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011—माघ 1, शक 1932

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्र. 22-वि.निर्वा.-4-2011-12.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :—

- 1. क्र. 100-म. प्र.-वि.स.-1-2011, दिनांक 21 जनवरी 2011.
- 2. क्र. 100-म. प्र.-वि.स.-2-2011, दिनांक 21 जनवरी 2011.

प्रेमचन्द मीना, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2011—1 माघ, 1932 (शक)

अधिसूचना

क्र. 100-म.प्र.-वि.स.-1-2011.—यत:, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में उस राज्य के **198-कुक्षी (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती जमुना देवी का स्थान उनकी मृत्यु के परिणामस्वरूप 24 सितम्बर 2010 को रिक्त हो गया है; और

2. यत:, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से उप निर्वाचन कराया जाना है;

- 3. अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा:—
 - (अ) मध्यप्रदेश राज्य में 198-कुक्षी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे 21 फरवरी 2011 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उस राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें,—
 - (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :--

(क) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख : 28 जनवरी, 2011 (शुक्रवार)

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 29 जनवरी, 2011 (शनिवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख : 31 जनवरी, 2011 (सोमवार)

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा; और : 14 फरवरी, 2011 (सोमवार)

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जायेगा : 21 फरवरी, 2011 (सोमवार)

नियत करता है, और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा.

आदेश से.

हस्ता./-(**बर्नाड जॉन**) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 21st January 2011—1 Magha, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-1-2011.—Whereas, the seat of Smt. Jamuna Devi in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh elected from **198-Kukshi** (ST) Assembly Constituency in the state, has become vacant on 24th September 2010 by reason of her death; and

- 2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. Now, Therefore, in pursuance of Section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby :—
 - (A) calls upon the said 198-Kukshi (ST) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh to elect, before the 21st February 2011 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Schedule Tribes of the State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

- (B) appoints, with respect to the said election:—
 - (a) the 28th January, 2011 (Friday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 29th January, 2011 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 31st January, 2011 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 14th February, 2011 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
 - (e) the 21st February, 2011 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 8:00 A.M. to 5:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(BERNARD JOHN)

Secretary, Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 21 जनवरी, 2011—1 माघ, 1932 (शक)

अधिसूचना

क्र. 100-म.प्र.-वि.स.-2-2011.—यत:, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में उस राज्य के **170-सोनकच्छ (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री सज्जन सिंह वर्मा का स्थान उनके त्याग-पत्र के परिणामस्वरूप 16 मई, 2009 को रिक्त हो गया है; और

- 2. यत:, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से उप निर्वाचन कराया जाना है;
- 3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा,—
 - (अ) मध्यप्रदेश राज्य में 170-सोनकच्छ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे 21 फरवरी, 2011 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उस राज्य से सम्बन्ध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को, निर्वाचित करें,—
 - (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :-

(क) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख : 28 जनवरी, 2011 (शुक्रवार)

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 29 जनवरी, 2011 (शनिवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख : 31 जनवरी, 2011 (सोमवार)

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा; और : 14 फरवरी, 2011 (सोमवार)

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जायेगा : 21 फरवरी, 2011 (सोमवार)

नियत करता है, और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख़ को, मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-(**बर्नाड जॉन**) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 21st January, 2011—1 Magha, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-2-2011.—Whereas, the seat of Shri Sajjan Singh Verma in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh elected from **170-Sonkatch** (SC) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 16th May, 2009 by reason of his resignation; and

- 2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. Now, Therefore, in pursuance of Section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby,—
 - (A) calls upon the said 170-Sonkatch (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh to elect, before the 21st February, 2011 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Schedule Castes of the State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the States;
 - (B) appoints, with respect to the said election:—
 - (a) the 28th January, 2011 (Friday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 29th January, 2011 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 31st January, 2011 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 14th February, 2011 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
 - (e) the 21st February, 2011 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
 - (C) fixes the hours from 8:00 A.M. to 5:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(BERNARD JOHN)

Secretary,

Election Commission of India.